भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3319
17 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नकली दवाइयां

3319. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में नकली दवाओं की व्यापक खरीद-फरोख्त से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, कोविड-19 के रोगियों को नकली कोविड दवाएं बेची गई, जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य सुधार प्रभावित हुआ;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;
(घ) क्या सरकार ने मरीजों की जान जोखिम में डालने के लिए नकली दवाएं बेचने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं तथा देश में नकली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के पास है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग अधिकारियों से कई परामर्शिकाओं के माध्यम से अपने प्रवर्तन कर्मचारियों को सख्त निगरानी करने और संदिग्ध गुणवत्ता वाली दवाओं से संबंधित मामलों में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

विभिन्न राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोविड प्रबंधन की नकली और जाली दवाओं के मामलों में, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा दवाओं की जब्ती, आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी / प्राथमिकी दर्ज करने आदि जैसी विभिन्न प्रवर्तन कार्रवाई की गई हैं।

कोविड-19 प्रबंधन संबंधी दवाओं की कालाबाजारी/जमाखोरी/ओवरचार्जिंग की रिपोर्टें प्राप्त होने के बीच, सीडीएससीओ ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से कई परामर्शिकाओ के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रवर्तन कर्मचारियों को विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने और निगरानी और जांच का विशेष अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें।

*****